

2020/00210

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>जवाब दवा पेश किए बिना ही महीने के अंत वाली को डिकलर करते। पत्रावली वाले कायसी तन्की हेतु दिनांक 17.12.20 को पेश हो</p>	
	17/12/20	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वाली अधिगत। पत्रावली वाले कायसी तन्की हेतु दिनांक 07/01/21 को पेश हो।</p>	
	7.1.21	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील पत्रावली उप. प्रत्येकी अंत. 11/1/21 को पत्रावली वाले हेतु महीने के अंत पत्रावली वाले कायसी तन्की हेतु दिनांक 28.1.21 को पेश हो।</p>	
	28/1/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वाली अधिगत है। पत्रावली के प्रत्येकी त से अधिगती गण सं. 1/2021 के द्वारा वर को निर्धारित करते हेतु अपनी मध्याह्न जवाब दवा पेश करते ही है। अधिगती वकील भी अधिगत है। वकील पत्रावली को वर पर कहर लुकी गयी। पत्रावली का प्रत्येकी त एवं वकील पत्रावली को वर पर कहर लुकी गयी कहर पर मजबूत करते तथा अधि वाली गण सं. 1/2021 के द्वारा वर को जवाब दवा के माध्यम से निर्धारित करते हेतु मध्याह्न निर्धारित करते के फलस्वरूप वाली को वर निर्धारित किए गए अधिगत दिनांक किराए जाता है कि वर अधि अधिगत (वकील 113/62, 115/62, 116/62, 114/62, 62, 116/62) अधि चारों वास्तविक कहर अधिगत</p>	

2020/00210

फर्द अहकाम

सहायक जज जयपुर जिला जयपुर

नेन्डालाल बनाम रामगोपाल

कदमा संख्या / वर्ष : 114 / 20 20

दि. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>जयपुर में वाडी एवं परिवारीगण को दी गई अति र. नं. 62, $\frac{114}{62}$, $\frac{115}{62}$, $\frac{116}{62}$ का राजस्व वसूला विनामत पर के साथ संबंधित अंशों अनुसार दु दस्त किया जाना र. नं. 62, $\frac{114}{62}$, $\frac{115}{62}$, $\frac{116}{62}$ को गलत तर्कों को निरस्त किया जाना विनामत पर के साथ संबंधित अंशों में अंशित तर्कों अंश सादर वाडी व परिवारीगण का हाल राजस्व वसूला दु दस्त किए जाने के अंशों किसे भाते है तहसीलदार वसूली को उम्मादुआ राजस्व रिपोर्ट अंशों को दु दस्त कर अंश इराफे को कार्यवाही करते हेतु नि उचित किए जाते है। तथा परिवारीगण को भाते अंशों निवेदाजा से संबन्ध किया जाता है कि वे अंत नउ अस्त अति में वाडी के शांति से कवले वारर, उपयोग उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उपन्न न करे। डि की फर्दी जाती है। निर्णय व डि की की पालना हेतु तहसील जाती है। पत्रावली के फल धुमार होकर कउ तहसील डाकिने दफतर हो। जय</p>	

सहायक जज जयपुर